

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

70/2024 प्रा.पत्र/2024

23.09.2024

28.11.2024

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण
टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री अमन कुमार जैन पुत्र श्री पारस कुमार जैन निवसी ओमप्रकाश मार्ग बडा तख्ता टोंक
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स तिरूपति मसाला एण्ड किराणा जाल का कुआँ गाडियों का अड्डा
काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001 मोबाईल नं0 9214993360।
2-मैसर्स तिरूपति मसाला एण्ड किराणा जाल का कुआँ गाडियों का अड्डा काफला बाजार जिला
टोंक राज0। पिनकोड-304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप
धारा (iv),(v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री अमन कुमार जैन स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 28.11.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक
27.05.2024 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स तिरूपति मसाला एण्ड किराणा जाल का कुआँ
गाडियों का अड्डा काफला बाजार जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री
अमन कुमार जैन पुत्र श्री पारस कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान तिरूपति मसाला एण्ड किराणा जाल
का कुआँ गाडियों का अड्डा काफला बाजार जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले
आदि खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला एवं उनको अपना परिचय दिया एवं
परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अमन कुमार जैन पुत्र श्री पारस कुमार जैन ने स्वयं को
प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर
खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान
में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 30 किलोग्राम
धनिया पावडर (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत
देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अमन
कुमार जैन पुत्र श्री पारस कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस



भा.र.र.र. जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अमन कुमार जैन पुत्र श्री पारस कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह धनिया पावडर (खुला) वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, दुकान में प्लास्टिक के कट्टे में रखे लगभग 30 किलोग्राम धनिया पावडर (खुला) में से 2 किलोग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुद धनिया पावडर (खुला) 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर 500-500 ग्राम भरकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4104 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4104 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा शेष बचे खाद्य प्रदार्थ धनिया पावडर खुला कुल मात्रा 28 किलोग्राम को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री अमन कुमार जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में संभलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/866 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/2215/एक्ट/2024/2599 दिनांक 04.07.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया धनिया पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.14.(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री अमन कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के



(Handwritten Signature)
जिला माजिस्ट्रेट
टोंक

सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) व (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रुपये) आरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जब्तशुदा धनिया पावडर(खुला) को निस्तारित करने की कार्यवाही करे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.11.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(रामरतन सौंकरिया)

न्याय, निर्माण, अभियन्त्री एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0